

आयुक्त उपनिवेश,
बीकानेर।

विषय :- इंदिरा गांधी नहर के किनारे वन विभाग को
भूमि आवंटन करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निम्नानुसार लेख है कि इंदिरा गांधी नहर की मुख्य
नहर के किनारे वन विभाग को का विभाग एवं वृक्षारोपण के लिए भूमि आवंटन
करने हेतु वन विभाग के अधिकारी एवं उपनिवेश विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप
से भूमि का निर्धारित सीमा व शर्तों, जो निम्नांकित हैं, में चयन कर एक माह में आवंटन
हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के पास अधिकांश ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके :-
अनिवार्य सीमा :

1. मुख्य केनाल से	200 मीटर बायें	100 मीटर दायें
2. ग्रान्च नहर से	100 ..	50 ..
3. चित्तूरिका से	50 ..	50 ..
4. माईनर इत्यादि	25 ..	25 ..

अनिवार्य सीमा के अतिरिक्त :

1. मुख्य नहर	1000 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
2. ग्रान्च नहर	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
3. चित्तूरिका	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
4. माईनर इत्यादि	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें

इस संबंध में निम्न निर्णय लिये गये :-

1. वन विभाग द्वारा प्रस्तावित नहरों से प्रस्तावित अनिवार्य दूरी की सीमा
में स्थित राजकीय कमाण्ड व अनकमाण्ड भूमि को सुरक्षित करके आवंटन
उपनिवेश विभाग वन विभाग को करेगा। इन परिदृश्यों में स्वयंसेवक
भूमि के संबंध में 2 बीघा अतिरिक्त भूमि के मामले में 1 बीघा अतिरिक्त भूमि
जो एक बीघा अतिरिक्त भूमि के मामले में एक बीघा अतिरिक्त भूमि गांधी के
आवारा में तथादले में अधिधारण की संख्या के तहत राज्य सरकार भूमि दिये
जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी तथा जो भूमि
इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की लगेगी वह भूमि वन विभाग
इस विभाग से नियमानुसार प्राप्त करेगा।

22. अनिवार्य भूमि की प्रस्तावित दूरी की सीमा से अतिरिक्त भूमि की
प्रस्तावित दूरी की सीमा तक केवल अनकमाण्ड भूमि उपनिवेश विभाग
वन विभाग को आवंटित करेगा। इन परिदृश्यों में निजी भूमि/राजकीय
कमाण्ड भूमि वन विभाग द्वारा नहीं ली जायेगी।

3. अनिवार्य सीमा में स्थित परिदृश्यों में उपरोक्तानुसार राजकीय भूमि
इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की भूमि को छोड़कर वन विभाग

P.C. Apples

सं.

सं.

(वीरेंद्र सिंह जोशी)

उप वन संरक्षक

सं.

उप वन संरक्षक
जोधपुर

अतिरिक्त भूमि की पट्टी में निर्दिष्ट अनुसूचित भूमि का कृषकों को आवंटन नहीं किया जावेगा। इस पट्टी में कमाण्ड भूमि का आवंटन कृषकों को करने में रोक नहीं होगी।

4. वन विभाग व उपनिवेश विभाग के अधिकारीगण सदृष्टियों में आपसी आरक्षित भूमि का संपुर्ण निरीक्षण एक माह में पूर्ण करें। जिसके पश्चात् वन विभाग भूमि आवंटन के निश्चित प्रस्ताव आपुक्त उपनिवेश विभाग को भेजेगा। तत्पश्चात् उपनिवेश आपुक्त राज्य सरकार को निश्चित भूमि के आवंटन की सिफारिश करेगा। सिफारिश करने पर राज्य सरकार द्वारा अत्यापी रूप से सुधारोपण एवं वन विकास कार्य हेतु वन विभाग को भूमि का आवंटन करेगी, जिससे यह भी शत होगी कि राज्य सरकार अन्य विकास कार्य हेतु आवंटित भूमि वन विभाग से लौटी भी वापस ले सकेगी तथा उस पर केन्द्रीय वन अधिनियम, वन विभाग लागू नहीं करावेगा।
5. आपुक्त, उपनिवेश एवं वन विभाग के अधिकारीगण ~~निश्चित~~ करेंगे कि तत्पश्चात् वन विभाग के आवंटन एवं लौटी की कार्यवाही कितने चरणों में कब कब व निश्चित प्रकार आरम्भ की जाये ताकि जहाँ अधिक आवश्यकता हो वहाँ तब व आवंटन का कार्य सरियता से कार्य में लिया जा सके।
6. उ स्तरीय पैनल के आस-पास तथा अनुसूचित भूमि व लौटी के दोनों ओर की भूमि वन विभाग को वन विकास कार्य व सुधारोपण हेतु आवंटन करने के संबंध में यह महसूस किया गया कि इस संबंध में वन विभाग ने अपर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है। वन विभाग पूर्ण व निश्चित विवरण की सूचना उपनिवेश विभाग को उपलब्ध करावेगा, जिससे उस पर निश्चित निर्णय लिया जा सके।
7. इस विभाग के पत्र क्र. प. 3154/राज/उप/87 दिनांक 4.4.88 के अतिरिक्त में यह आदेश जारी किया जाता है।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिप :-

1. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

P.C. Allocated

(वीरेंद्र सिंह जोरा)

उप वन संरक्षक

वन विभाग, जयपुर।

उप वन संरक्षक
जयपुर